और तदर्थ आधार पर स्टाफ की भर्ती करने के लिए एक लाख रुपये का तदर्थ अनुदान मंजूर किया गया है ।

भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथिक अनुसंधान की केन्द्रीय परिषद ने निम्नलिखित संस्थाओं को अनुसंधान कार्य करने के लिए सहायतार्थ अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी है । प्रति संस्थान आवर्ती 13 हजार रुपये की पहली किस्त अब तक दी जा चुकी है ।

1. आतुराश्रमन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज और अस्पताल, कोट्टयम;

2. देवालय धमार्थ होम्योपैथिक अस्पताल और ट्रस्ट, अलीगढ़;

3. डा० गुरुराजू सरकारी होम्योपैथिक कालेज और अस्पताल, गुडिवाडा (आन्ध्र प्रदेश) ;

4. डी० एन० डे० होम्योपैथिक मेडिकल कालेज और अस्पताल, कलकत्ता;

5. कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कालेज और अस्पताल, कलकत्ता;

6. के० एम० मेडिकल कालेज और अस्पताल भागलपुर (बिहार);

7. मिदिनापुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज और अस्पताल, मैसूर;

8. बैलगाम होम्योपैथिक मेडिकल कालेज और अस्पताल मैसूर ।

(ख) होम्योपैथी के विकास के लिए चौथे पंचवर्षीय आयोजन के अन्तर्गत निजी संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने का क्या मानदण्ड और क्या प्रतिमान है यह अभी तय नहीं किया गया है क्योंकि इस सम्बन्ध में संबन्धित राज्य सरकारों से उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है । वित्तीय सहायता के लिए अनुसंधान योजनाओं की जांच वैज्ञानिक सलाहकार मंडल (होम्योपैथ) द्वारा की जाती है और मंजूरी परिषद द्वारा निर्धारित वित्तीय प्रतिमान के अनुसार परिषद की कार्यकारिणी समिति/शासनिकाय द्वारा दी जाती है वशर्ते धन उपलब्ध हो ।

नेपाल स्थित भारतीय दूतावास में "सांस्कृतिक अटैची" का पद

7209. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल स्थित भारतीय दूतावास में "सांस्कृतिक अटैची" का पद कब से रिक्त पड़ा है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस पद पर नियुक्ति करने का है अथवा इसे सदा के लिए समाप्त कर देने का है ;

(ग) नेपाल स्थित भारतीय दूतावास के अन्तिम "सांस्कृतिक अटैची" का नाम क्या है ;

(घ) क्या सरकार को उसके विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी जाँच की जा रही है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उनकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) वह पद 16-2-1970 से

रिक्त पड़ा है, लेकिन एक दूसरे अधिकारी इस काम को देख रहे हैं।

(ख) इस पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चयन हो चुका है और यह शीघ्र ही भरा जाएगा।

(ग) डा० इन्दु शेखर।

(घ) उनके खिलाफ ऐसी कोई शिकायत नहीं है, जिसकी जांच की जा रही हो। उन्होंने सेवा-निवृत्ति पर कार्यभार छोड़ा।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में आवास योजनाएं

7210 **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में उन आवास योजनाओं के क्या नाम हैं जो केन्द्रीय सरकार द्वारा आवास योजना के अन्तर्गत दी गई सहायता से चल रही हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में बिहार सरकार की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आइ० के० गुजराल) : (क) बिहार में निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा आरम्भ की गई निम्नलिखित सामाजिक आवास योजनायें चल रही हैं :

(i) औद्योगिक कर्मचारियों और समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना।

(ii) निम्न आय वर्ग आवास योजना।

(iii) गन्दी बस्ती सफाई/सुधार योजना।

(iv) ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम।

(v) मध्यम आय वर्ग आवास योजना।

(vi) राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये किराया-आवास योजना।

(vii) भूमि अर्जन विकास योजना।

ये सभी योजनाएं प्लान के राज्य क्षेत्र में शामिल हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य सरकार को दी जा रही केन्द्रीय खण्ड सहायता किसी विशेष योजना अथवा विकास शीर्ष से सम्बद्ध नहीं है। यह राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार, आवास योजनाओं सहित, प्लान की किसी स्कीम के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है।

(ख) निर्माण और आवास मंत्रालय में ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।